रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223678
CG-DL-E-12122020-223678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12, 2020/अग्रहायण 21, 1942
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 2020/AGRAHAYANA 21, 1942

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2020

सं. ईपी/19/2020-आर्थिक और नीति विंग.—कौशल विकास और उद्यमशीलता राष्ट्रीय नीति 2015 के पैरा 4.1.3 और 4.9.6 तथा 9 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के तहत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में उत्कृष्ठता केंद्र की स्थापना नए सिरे से या कौशल विश्वविद्यालय प्रणाली के भाग के रूप में की जाएगी। सोसाइटी अधिनियम,1860 के तहत पंजीकृत और दिनांक 15.10.2004 की पंजीकरण सं.2004-05 के 21959/137 वाले स्वायत्त संगठन, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स (एसआईडीएसी), ओडिशा को देश में कौशलीकरण इकोसिस्टम के क्षेत्र में **उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में मान्यता दी गई है। प्रारम्भ में यह मान्यता इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए होगी, जो निम्न शर्तों के अधीन है:

(i) एसआईडीएसी को,उत्कृष्ठता केंद्र दिशानिर्देशों में दिए गए वांछनीय सभी मानदंडों के संबंध में सूचीबद्ध सभी मापदंडों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा;

(ii) एसआईडीएसी अपनी गतिविधियों का विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा;

(iii) एसआईडीएसी निगरानी के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा की जाने वाली आवधिक स्थल यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2020

No. EP/19/2020-Economic and Policy Wing.—In pursuance of the directives under para 4.1.3 and 4.9.6 of the National Policy on Skill Development and Entrepreneurship 2015 and the guidelines framed there under vide Notification dated 9th August 2019 regarding setting up Centre of Excellence either as de-novo or as part of Skill University system, the State Institute for Development of Arts and Crafts (SIDAC), Odisha, a autonomous organization registered under Society Act of 1860, bearing no. 21959/137 of 2004-05 dated 15.10.2004, has been recognized as a **Centre of Excellence** in the field of Skilling Ecosystem in the country. This recognition shall initially be for a period of five years from the date of issue of this Notification, subject to the following conditions:

(i) SIDAC should try to achieve all the parameters as enlisted in respect of Desirable Criteria in the CoE guidelines;

(ii) SIDAC will submit its Annual Report to MSDE detailing out its activities;

(iii) SIDAC would facilitate periodic site visit by MSDE for monitoring.

SHAKIL ALAM, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.12 14:58:43 +05'30'